

Phone: 07564-234729  
Email: [fmti-mp@nic.in](mailto:fmti-mp@nic.in)



Fax: 07564-234743  
Web Site: [fmttibudni.gov.in](http://fmttibudni.gov.in)  
GST No. 23AAAGCO8901ZS

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान  
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)  
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) 466-445  
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466-445

फा.स. 28-23/2016 एफ.डब्ल्यू


दिनांक 01.12.2017

निविदा सूचना

संस्थान के फार्म अनुभाग में कृषि सिजनेबल कार्य एवं फसलो की सुरक्षा ,एवं कार्यालय परिसर में स्थित उधानिकी,हेज कटिंग, थाला बनाना,गेस्ट हाउस,कार्यालय परिसर,परीक्षण स्कंध,कालोनी पार्क,में कार्य एवं पशुओ से पौधो की सुरक्षा एवं देख रेख आदि कार्य के लिये स्थानीय ठेकेदारो/दैनिक वेतर भोगी मजदूरो से 12.12.17 सें 31.03.2018 तक के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा देने की अतिम तारीख दिनांक 08.12.2017 शाम 3.30 बजे तक दे सकते है।

कार्य की शर्तें-

1. निविदा दाता को कृषि कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदा दाता श्रमिक मानसिक,शारीरिक रूप से विकलांग एवं 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
3. ठेका अवधि समाप्त के बाद ठेकेदार या श्रमिक की और से किसी भी प्रकार का नियुक्ती का दावा पाने का अधिकार नहीं होगा।
4. कार्य के दौरान ठेके पर कार्य करने वाले किसी भी श्रमिको का अप्रितयाशित घटना के लिये निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. कार्य आदेश देने के पश्चात सभी कार्य फार्म अनुभाग के दिशा निर्देशनुसार ही करना होगा और कार्य संतोषजन होने पर ही बिल का भुगतान किया जाएगा। सभी कार्य समय अवधि में सम्पन्न करना होगा।
6. यदि निविदा दाता किसी भी कारण से कार्य बीच में छोडकर चला जाता है अथवा कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके कार्य के ठेके को निरस्त कर दिया जाएगा और उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जरेगा।
7. निविदा दाता द्वारा प्रति श्रमिक,प्रतिदिन की दर से सादे कागज पर बंद निविदा 08.12.2017 शाम 3.30 बजे तक निम्न हास्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में निविदा बाक्स में दे सकते है या पोस्ट द्वारा भेज सकते है जो उक्त तारीख तक मिल जाना चाहिए।
8. कार्य की अन्य शर्तें कार्या आदेश में निहित होगी।
9. प्रति माह रु. 20,000/- से अधिक ठेके की राशि होने पर टी.डी.एस. नियमानुसार काटा जाएगा।
10. श्रम संबंधी सभी नियमो का पालन स्वयं को करना होगा।कार्यालय इस संबंध में किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
11. फार्म एवं कार्यालय परिसर में कार्य के दौरान श्रमिको द्वारा सरकारी सम्पति का नुकसान पाया जाने पर निविदा दाता से भरपाई की जाएगी।
12. निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते है। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बुदनी न्यायालय बुदनी जिला.सीहोर ही होगा।

  
(जयबीर सिंह) 1.12.17  
सस्य विज्ञानी  
कृते निदेशक

वितरण- सभी सूचना पट्ट : कार्या/प्रशि/परी/मुख्य द्वार/कालोनी द्वार/मेन बाजार बुदनी/तहसील कार्यालय/नगर पालिका नोटिस बोर्ड इत्यादि।

संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।